कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, सी.आइ.जी. मार्ग
नई दिल्ली – 110 002

www.esic.nic.in वीओआइपी नं. 10011080

सं. ए–49/16/1/2013–रा.भा. दिनांक: 21.01.2014

सेवा में,

1. आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, नई दिल्ली ।
2. सभी क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय ।
3. सभी निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक, उ.क्षे.का./प्रभागीय कार्यालय ।
4. निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा/के.के. नगर, क.रा.बी.निगम ।
5. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल ।

विषय: निगम कार्यालयों में प्रचलित कर्मचारी राज्य बीमा निगम – (हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन) योजना ।

महोदय/महोदया,

निगम में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन) योजना जनवरी, 1985 से लागू है जो प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी से 31 दिसंबर तक की अवधि के लिए होती है। वर्ष 2013 के दौरान जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने निर्धारित प्रतिशतता (राजभाषा क्षेत्र क, ख तथा ग में स्थित कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के लिए क्रमशः 100, 75 तथा 50 प्रतिशत) में सरकारी कामकाज हिंदी में किया है उनसे निम्न प्रपत्र में प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएं :

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन) योजना के लिए प्रविष्टि प्रपत्र :

अधिकारी/कर्मचारी का नाम :

पदनाम एवं शाखा :
(01 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर, 2013)

अधिकारी/कर्मचारी द्वारा घोषणा पत्र

प्रमाणित किया जाता है वर्ष 2013 के दौरान मैंने टिप्पण/आलेखन में निर्धारित प्रतिशतता (100, 75, 50 प्रतिशत) तक/से अधिक कार्यालयी कार्य हिंदी में किया है। इस अवधि में मैंने न तो केवल टंकण/डायरी–डिस्पैच का कार्य किया है और न ही राजभाषा शाखा में तैनात था ।

दिनांक: अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

नियंत्रक अधिकारी (प्रति हस्ताक्षर)

आमंत्रित प्रविष्टियों पर कार्यालय में यथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर कार्यालय अध्यक्ष की सहमति के उपरांत जारी पुरस्कृत कार्मिकों की सूची निगम मुख्यालय को निश्चित रूप से दिनांक: **30 अप्रैल, 2014** तक भिजवा दें। कृपया इस प्रोत्साहन/पुरस्कार योजना का व्यापक प्रचार करें ताकि वर्ष 2014 में अधिकाधिक अधिकारी और कर्मचारी इस योजना के माध्यम से राजभाषा हिंदी के प्रयोग/प्रसार से जुड़ सकें।

भवदीय,

वेबसाइट की विषय–सूची का प्रबन्धन
Website Contents Management
डायरी सं./Diary No. 115
दिनांक/Date 21/01/14

(डॉ० पन्ना प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

प्रतिलिपि:
उप निदेशक (वेबसाइट सामग्री प्रबंधन) को इस अनुरोध के साथ कि इसे क.रा.बी.नि. की वेबसाइट पर अपलोड करें।

संयुक्त निदेशक (रा.भा.)